



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29122025-268894
CG-DL-E-29122025-268894

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 836]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 29, 2025/पौष 8, 1947

No. 836]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 29, 2025/PAUSHA 8, 1947

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2025

संख्या 5506/बीईई/एसएंडएल/एएल/2025-26.— लेबल पर उनके विवरण, पद्धति और समय-सीमा सहित आवश्यक जानकारी के प्रदर्शन को अभिशासित करने के लिए एक व्यापक फ्रेमवर्क स्थापित करने हेतु, ऐसे लेबल लगाने के लिए आवेदन करने और अनुमति प्रदान करने की प्रक्रिया स्थापित करने के लिए, इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 58 की उप-धारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित, निम्नलिखित प्रारूप विनियमों को लोक परामर्श के लिए प्रकाशित किया गया था, अर्थात्,

- (क) तारीख 10 जुलाई, 2025 की अधिसूचना संख्या 5506/बीईई/एसएंडएल/एएल/2025-26 द्वारा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (उपकरण लेबलिंग) विनियम, 2025;

- (ख) तारीख 10 जुलाई, 2025 की अधिसूचना संख्या 5506/बीईई/एसएंडएल/एलपी/2025-26 द्वारा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (लेबल विवरण) विनियम, 2025;
- (ग) तारीख 10 जुलाई, 2025 की अधिसूचना संख्या 5506/बीईई/एसएंडएल/एफआर/2025-26 द्वारा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (लेबलिंग शुल्क) विनियम, 2025; और
- (घ) तारीख 10 जुलाई, 2025 की अधिसूचना संख्या 5506/बीईई/एसएंडएल/एलसी/2025-26 द्वारा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (लेबलिंग अनुपालन) विनियम, 2025.

और उक्त प्रारूप विनियमों की प्रतियां 16 जुलाई, 2025 को जनसाधारण को उपलब्ध कराई गई थीं;

और उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में प्राप्त सुझावों पर विचार किया गया है;

अतः, अब, ब्यूरो, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 58 की उप-धारा (2) के खंड (i) और (ठ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इन विनियमों की अनुसूची-घ में विनिर्दिष्ट विनियमों को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है अथवा करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:

विनियम

अध्याय I

साधारण

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (उपकरण लेबलिंग और अनुपालन) विनियम, 2026 है।

(2) ये विनियम 1 जनवरी 2026 को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ- (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

- (क) "अधिनियम" से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) अभिप्रेत है;
- (ख) "मूल देश" से वह देश अभिप्रेत है जहां उपकरण अथवा उपस्कर विनिर्मित, एसेंबल अथवा पर्याप्ततः संसाधित किए गए हैं, और इसके कुछ घटकों की उत्पत्ति पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।
- (ग) "पृष्ठांकन लेबल" वह चिह्न है जो यह आश्वस्त करते हुए, किसी उपकरण अथवा यंत्र की दक्षता की गारंटी देता है, कि संबंधित उपकरण अथवा उपस्कर, उस उपकरण अथवा उपस्कर के लिए निर्दिष्ट रेटिंग प्रणाली में विनिर्दिष्ट न्यूनतम ऊर्जा प्रदर्शन मानकों को पूरा करता है, तथा यह संभावित क्रेताओं को सूचित करता है कि उक्त उत्पाद अपनी श्रेणी के लिए ऊर्जा दक्ष है।
- (घ) "लेबल" से इन विनियमों की अनुसूची ग में निर्दिष्ट किसी उपकरण अथवा उपस्कर पर चिपकाई गई अथवा प्रदर्शित मुद्रित सामग्री अभिप्रेत है;
- (ङ) "लेबल श्रृंखला" से निर्दिष्ट उपकरण अथवा उपस्कर के ऊर्जा प्रदर्शन मानक की विधिमान्यता अभिप्रेत है;
- (च) "आज्ञापित उपकरण अथवा उपस्कर" में, इन विनियमों की अनुसूची क के अधीन निर्दिष्ट उपकरण अथवा उपस्कर सम्मिलित होंगे।
- (छ) "अनुज्ञप्तिधारी" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो इन विनियमों की अनुसूची-क तथा अनुसूची-ख में विनिर्दिष्ट किसी उपकरण अथवा उपस्कर का व्यवसाय करता हो और जिसे ब्यूरो द्वारा किसी उपकरण अथवा उपस्कर पर लेबल चिपकाने की अनुमति प्रदान की गई हो।
- (ज) "व्यक्ति" से कोई व्यक्ति, संघ अथवा व्यक्तियों के निकाय, साझेदारी फर्म, सीमित देनदारी साझेदारी और कंपनी अभिप्रेत है और वह इसमें सम्मिलित है, चाहे निगमित हो अथवा न हो;
- (झ) "अनुसूची" से इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियां अभिप्रेत हैं;
- (ञ) "स्टार रेटिंग अथवा स्टार लेबल" से अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी उनकी संबंधित अधिसूचना के आधार पर उपकरण अथवा उपस्कर के लेबल पर प्रदर्शित ऊर्जा प्रदर्शन का स्तर अभिप्रेत है।
- (ट) "राज्य पदाभिहित अभिकरण" से अधिनियम की धारा 15 के खंड (घ) के अधीन पदाभिहित कोई अभिकरण अभिप्रेत है।
- (ठ) "स्वैच्छिक उपकरण अथवा उपस्कर" में इन विनियमों की अनुसूची ख के अधीन निर्दिष्ट उपकरण अथवा उपस्कर सम्मिलित होंगे।
- (2) ऐसे शब्द और पद, जो यहां प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो उनके अधिनियम में हैं।

अध्याय II

उपकरण लेबलिंग और रजिस्टर्ड करण

3. इन विनियमों की अनुसूची क और अनुसूची ख में यथा निर्दिष्ट किसी उपकरण अथवा उपस्कर पर ब्यूरो की पूर्व लिखित अनुमति के बिना कोई लेबल नहीं लगाया जाएगा।

4. **लेबल प्रदर्शन की अनुमति हेतु आवेदन-** (1) इन विनियमों की अनुसूची क में निर्दिष्ट उपकरणों अथवा उपस्करों का विनिर्माण अथवा विक्रय अथवा आयात करने वाली प्रत्येक कंपनी को ब्यूरो के साथ रजिस्टर्ड करण कराना और पांच हजार रुपये के एकबारगी आवेदन फीस सहित आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

(2) इस विनियम के उप-विनियम (1) के अधीन रजिस्टर्ड फीस को, प्रत्येक उपकरण अथवा उपस्कर के रजिस्टर्ड करण हेतु पृथक् रूप से आवेदन करना होगा और आवेदन, प्रति उपकरण अथवा उपस्कर तीन लाख रुपये की लेबल प्रतिभूति जमा राशि के साथ प्रस्तुत किया जाएगा:

परन्तु लघु उद्योग के मामले में, लेबल प्रतिभूति जमा राशि मात्र पचास हजार रुपए होगी।

(3) इस विनियम के उप-विनियम (1) के अधीन रजिस्टर्ड किसी कंपनी को, उपकरण अथवा उपस्कर के प्रत्येक मॉडल का रजिस्टर्ड करण कराना होगा और आवेदन, प्रति आवेदन पाँच हजार रुपये के मॉडल रजिस्टर्ड करण फीस के साथ प्रस्तुत किया जाएगा:

परन्तु कोई कंपनी जो अनुसूची-ख में विनिर्दिष्ट उपकरणों अथवा उपस्करों का विनिर्माण अथवा आयात अथवा विक्रय करती है, अपनी कंपनी तथा अपने उपकरणों अथवा उपस्करों का प्रचालन मैनुअल में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार रजिस्टर्ड करण कराएगी।

5. **अनुमति प्रदान करना-** (1) ब्यूरो, आवेदन प्राप्त होने की तिथि से अधिकतम तीस कार्य दिवसों की अवधि के भीतर, इन विनियमों के विनियम 16 के अधीन प्रचालन मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, इन विनियमों के विनियम 4 के अधीन प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा पूरी करेगा।

परन्तु ऐसे मामलों में जहां प्राप्त आवेदनों में विसंगतियां पाई जाती हैं, ब्यूरो इन आवेदनों को अवलंबित रखेगा और आवेदकों को उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए अधिकतम 60 (साठ) दिन की अवधि प्रदान करेगा, जिसमें विफल रहने पर आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।

(2) इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि इन विनियमों के विनियम 4 के अधीन प्राप्त आवेदन इन विनियमों में निर्दिष्ट सभी अपेक्षाओं का अनुपालन करते हैं, ब्यूरो:

- क) कंपनी और उपकरणों अथवा उपस्करों को रजिस्टर करेगा;
- ख) अनुमत मॉडलों पर तीन वर्ष की अवधि के लिए लेबल चिपकाने की अनुमति प्रदान करेगा;
- ग) अनुज्ञप्तिधारी रजिस्टर में प्रविष्टियां करेगा।

(3) अनुमत मॉडल पर लेबल चिपकाना जारी रखने की अनुमति को नवीकृत करने के लिए, प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी, ब्यूरो को, पूर्व में प्रदान की गई ऐसी अनुमति की समाप्ति से पहले, एक आवेदन प्रस्तुत करेगा। नवीकरण आवेदन, आवेदन की प्राप्ति की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर संसाधित किया जाएगा:

परंतु ऐसे अनुमत मॉडल पर लेबल चिपकाने के नवीकरण के लिए अथवा इसे जारी रखने के लिए, जहां स्टार रेटिंग अथवा पृष्ठांकन लेबल को संशोधित किया गया हो अथवा मौजूदा स्टार रेटिंग योजना अथवा पृष्ठांकन लेबल, जैसा भी मामला हो, को जारी रखने के लिए, कोई फीसदेय नहीं होगा।

(4) यदि अनुमति अवधि की विधिमान्यता के दौरान ऊर्जा प्रदर्शन मानकों को संशोधित किया जाता है, तो ब्यूरो अनुज्ञप्तिधारी को संशोधित ऊर्जा प्रदर्शन मानकों की सूचना देगा। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, अनुज्ञप्तिधारक अधिसूचना की तिथि से साठ दिन की अवधि के भीतर अथवा लेबल श्रृंखला में उल्लिखित विधिमान्यता अवधि से पहले ब्यूरो को एक स्व-घोषणा फॉर्म प्रस्तुत करेगा, जो संशोधित ऊर्जा प्रदर्शन मानकों के अनुपालन और संशोधित मानकों को दर्शाने वाले लेबल को चिपकाने की पुष्टि करे।

(5) यदि अनुज्ञप्तिधारी निम्नलिखित का पालन करने में विफल रहता है तो, ब्यूरो लेबल चिपकाने के लिए दी गई अनुमतियों को रद्द कर सकता है:

- (क) अनुसूची-क तथा अनुसूची-ख के अधीन आने वाले उपकरण अथवा उपस्कर के संबंध में, अधिनियम के अधीन निर्धारित विशिष्ट ऊर्जा प्रदर्शन मानकों का अनुपालन करना;
- (ख) इन विनियमों के अधीन लेबल के प्रदर्शन की विधि का उपबंध करने वाले विनियम 7 के उपबंध का अनुपालन करना;
- (ग) इन विनियमों के विनियम 9 के अधीन यथा निर्धारित लेबल फीसका भुगतान करना;
- (घ) केवल अनुमत मॉडलों पर ही लेबल चिपकाना;
- (ङ) यह सुनिश्चित करना कि चिपकाए गए लेबल सुपाठ्य हों और उनका उचित रख-रखाव किया गया हो;
- (च) प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक प्राधिकृत विक्रेताओं की अद्यतन सूची उपलब्ध कराना;
- (छ) मानक एवं लेबलिंग संबंधी प्रचालन मैनुअल में यथा विनिर्दिष्ट अन्य निबंधन एवं शर्तों का अनुपालन करना;
- (ज) इन विनियमों के अध्याय III में यथा विनिर्दिष्ट निदेशों का अनुपालन करना :

परंतु अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना कोई अनुमति रद्द नहीं की जाएगी।

6. लेबल पर प्रदर्शित किए जाने वाले विवरण - इन विनियमों की अनुसूची क में निर्दिष्ट प्रत्येक उपकरण अथवा उपस्कर पर, इसके लेबल पर निम्नलिखित विवरण प्रदर्शित किए जाएंगे, अर्थात्: -

- (क) उपकरणों अथवा उपस्करों के नाम;
- (ख) ब्रांड का नाम;

- (ग) मॉडल संख्या;
- (घ) ऊर्जा प्रदर्शन पैरामीटर;
- (ङ) लेबल श्रृंखला;
- (च) रेटेड क्षमता/आउटपुट (जैसा लागू हो);
- (छ) स्टार स्तर अथवा पृष्ठांकन।
- (ज) उत्पत्ति का देश
- (झ) ऊर्जा दक्षता बयूरो का लोगो
- (ञ) इन विनियमों की अनुसूची ग में यथा निर्दिष्ट कोई अन्य उपकरण अथवा उपस्कर विशिष्ट मापदंड।

7. लेबल के प्रदर्शन की पद्धति- (1) इन विनियमों की अनुसूची क तथा अनुसूची ख में यथा निर्दिष्ट प्रत्येक उपकरण अथवा उपस्कर पर, उस उपकरण अथवा उपस्कर के लिए, इन विनियमों की अनुसूची ग में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुरूप, इन विनियमों के विनियम 6 के अधीन अपेक्षित विवरण के साथ एक त्वरित प्रतिक्रिया कोड सहित लेबल लगा होगा।

(2) अनुज्ञप्तिधारी सुनिश्चित करेगा कि लेबल:

(क) सहज रूप से दिखाई दे; और

(ख) प्रत्येक रजिस्टर्ड यूनिट अथवा मॉडल पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विक्रय बिंदु पर दिखाई दे;

(3) स्टार लेबल को रजिस्टर्ड मॉडल की प्रत्येक यूनिट के पैकेजिंग बॉक्स पर मुद्रित अथवा चिपकाया जाए।

(4) लेबल का डिज़ाइन, रंग, आकार, सामग्री और स्थान इन विनियमों की अनुसूची ग में निर्दिष्ट अनुसार होगा।

(5) त्वरित प्रतिक्रिया कोड सहित लेबल स्वयं चिपकाने वाले पदार्थ का होगा।

(6) इन विनियमों की अनुसूची ग के उपबंध के अनुसार अपेक्षित चिह्नांकन सुपाठ्य, अमिट और स्थायी होंगे। त्वरित प्रतिक्रिया कोड को संबंधित उपकरण (उपकरणों) के स्टार लेबल के बगल में रखा जाएगा और त्वरित प्रतिक्रिया कोड के आयाम, न्यूनतम आधार पर, इन विनियमों की अनुसूची ग में निर्दिष्ट अनुसार होंगे।

8. लेबल के प्रदर्शन के लिए समय सीमा- (1) स्वैच्छिक व्यवस्था से अनिवार्य व्यवस्था में पारगमन करते समय, इन विनियमों के प्रवर्तन की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर, इन विनियमों की अनुसूची-क में यथा विनिर्दिष्ट प्रत्येक उपकरण अथवा उपस्कर पर, विनियम 6 एवं 7 के उपबंध के अनुसार एक लेबल प्रदर्शित किया जाएगा।

(2) किसी उपकरण अथवा उपस्कर के लिए ऊर्जा प्रदर्शन मानकों के पुनरीक्षण किए जाने और उनके प्रभावी

हो जाने पर, अनुज्ञप्तिधारी —

(क) समाप्त हो चुके मानकों के अधीन आने वाले उपकरणों अथवा उपस्कर का उत्पादन बंद कर देगा; और

(ख) तैयारी संबंधी उपाय (डीलर जागरूकता एवं उपभोक्ता शिक्षा) करेगा।

(3) डमी डिस्प्ले यूनिट के लिए, डमी यूनिटों पर विशिष्ट मॉडल के अनुरूप स्टार लेबल की एक डुप्लिकेट अथवा प्रतिकृति दर्शायी जाएगी। लेबल पर स्पष्ट रूप से "डमी" शब्द अंकित होगा ताकि यह इंगित किया जा सके कि यह मूल लेबल नहीं है।

9. लेबल फीस - (1) प्रत्येक अनिवार्य उपकरण अथवा उपस्कर के लिए, अनुज्ञप्तिधारी ब्यूरो को, समय-समय पर यथा संशोधित, अनुसूची क के अनुसार लेबल फीस का भुगतान करेगा।

(2) प्रत्येक स्वैच्छिक उपकरण अथवा उपस्कर के लिए, अनुज्ञप्तिधारी ब्यूरो को, अनुसूची ख के अनुसार लेबल फीस का भुगतान करेगा।

(3) उपर्युक्त उप-विनियम (1) और (2) के अधीन निर्दिष्ट लेबल फीस का भुगतान वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के समाप्ति तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर त्रैमासिक रूप से किया जाएगा।

(4) अनुज्ञप्तिधारी ब्यूरो को एक विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही की समाप्ति तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर लेबल किए गए उपकरणों अथवा उपस्करों के उत्पादन और प्रत्येक तिमाही के लिए देय उपार्जित लेबलिंग फीस के ब्यौरे सम्मिलित होंगे और प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति तिथि से दो माह की अवधि के भीतर ब्यूरो को चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित उत्पादन डेटा का पुनर्मिलान प्रस्तुत किया जाएगा।

परंतु इस विनियम के अधीन निर्दिष्ट अवधि के भीतर लेबल फीस का भुगतान करने में विफल रहने पर, ब्यूरो, देय राशि की विनियम 4 के अधीन किए गए लेबल प्रतिभूति जमा से प्रति वर्ष दस प्रतिशत की दर से ब्याज सहित वसूली कर लेगा और यदि प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर पूर्ण लेबलिंग फीस की वसूली नहीं की जाती तो, ब्यूरो अनुज्ञप्तिधारी को प्रदान किए गए सभी लेबलों को रद्द कर देगा और अनुज्ञप्तिधारी का नाम समाचार पत्रों में चूककर्ता के रूप में प्रकाशित किया जाएगा।

(5) 1 अप्रैल, 2027 और उसके पश्चात् से, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा त्वरित प्रतिक्रिया कोड की मांग करते समय, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के वेब पोर्टल, अर्थात्, मानक और लेबलिंग वेब पोर्टल पर प्रीपेड लेबल फीस देय होगा।

परंतु, ब्यूरो के वेब पोर्टल पर उपर्युक्त प्रीपेड लेबल फीस तंत्र के अभाव में, इन विनियमों के उप-विनियम (3) और (4) प्रवृत्त रहेंगे।

10. लेबल प्रतिभूति जमा की वापसी - (1) विनियम 4 के उपबंध के अधीन, अनुज्ञप्तिधारी, यथास्थिति, अनिवार्य अथवा स्वैच्छिक उपकरण अथवा उपस्कर के विनिर्माण को समाप्त किए जाने पर, ब्याज-मुक्त लेबल सुरक्षा जमा राशि की वापसी का हकदार होगा।

(2) यथास्थिति, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ब्यूरो को ऐसे विनिर्माण को स्थायी रूप से बंद किए जाने की लिखित सूचना प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, ब्यूरो द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को प्रतिभूति जमा राशि वापस लौटा दी जाएगी।

11. भुगतान की पद्धति - सभी भुगतान स्वीकार्य भुगतान पद्धति के माध्यम से किए जाएंगे, जिनमें पहले से ही विद्यमान भुगतान पद्धतियों के अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से किया गया भुगतान भी सम्मिलित होगा।

अध्याय - III

लेबलिंग अनुपालन और प्रवर्तन

12. ब्यूरो द्वारा अनुपालन सत्यापन - ब्यूरो अथवा राज्य पदाभिहित अभिकरण, किसी उपकरण अथवा उपस्कर द्वारा इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, यथावश्यक अंतराल पर, निम्नलिखित किसी भी पद्धति से सत्यापन करेगी, अर्थात् :-

(क) इन विनियमों के विनियम 13 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट लेबल सत्यापन;

(ख) इन विनियमों के विनियम 14 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट परीक्षण जाँच;

(ग) ब्यूरो द्वारा अनुपालन को सत्यापित करने के लिए आवश्यक मानी गई कोई अन्य उचित विधि।

13. लेबल सत्यापन- (1) ब्यूरो अथवा राज्य पदाभिहित अभिकरण, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म माध्यम सहित ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से बाजार निगरानी के संचालन द्वारा किसी उपकरण अथवा उपस्कर पर चिपकाए गए लेबल पर प्रदर्शित विवरणों का सत्यापन करेगी।

(2) ब्यूरो अथवा राज्य पदाभिहित अभिकरण द्वारा, किसी उपकरण अथवा उपस्कर के संबंध में, किसी प्रकार के गैर-अनुपालन का पता लगाए जाने की स्थिति में, जिनमें, जाली लेबल चिपकाना अथवा जाली लेबल वाले अथवा बिना लेबल के उपकरण अथवा उपस्कर का विक्रय करना, असली लेबलों में परिवर्तन करना, वास्तविक लेबलों को अनधिकृत लेबलों से प्रतिस्थापित करना तथा ब्यूरो द्वारा जारी किए गए वास्तविक लेबलों

के डिजाइन, विन्यास अथवा सामग्री की नकल करने वाले लेबलों का निर्माण करना सम्मिलित है, किंतु इन्हीं तक सीमित नहीं है, ब्यूरो अथवा राज्य पदाभिहित अभिकरण संबंधित अनुज्ञप्तिधारी को कारण बताओ नोटिस जारी करेगी, जिसमें उसे चिह्नित गैर-अनुपालन से अवगत कराया जाएगा तथा कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा।

(3) ब्यूरो अथवा राज्य पदाभिहित अभिकरण, अधिनियम अथवा भारत के क्षेत्राधिकार में लागू किसी अन्य सुसंगत विधि, नियम, विनियम अथवा अधिसूचना के उपबंध के अनुसार भी आवश्यक कार्रवाई करेगी।

(4) यदि अनुज्ञप्तिधारी, निर्धारित समय सीमा के भीतर ब्यूरो की संतुष्टि के अनुरूप स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करता है, तो ब्यूरो कथित परिमितधारी के विरुद्ध निम्नलिखित कार्रवाई करेगा, अर्थात्:

(क) लेबल प्रतिभूति जमा जब्त करेगा;

(ख) उपकरण अथवा उपस्कर श्रेणी के अधीन मॉडल रजिस्टर्ड करण को एक वर्ष की अवधि के लिए निलंबित कर देगा और निलंबन के ब्यौरे ब्यूरो की शासकीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करेगा; तथा

(ग) ब्यूरो अथवा राज्य पदाभिहित अभिकरण ऊर्जा संरक्षण (अनुपालन प्रवर्तन) नियम, 2025 के अनुसार जुर्माना लगाने के लिए कार्रवाई शुरू करेगी।

(5) किसी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म सहित ऑनलाइन पद्धति में पाए गए किसी गैर-अनुपालन की स्थिति में, ब्यूरो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को उपकरण अथवा उपस्कर के निर्दिष्ट मॉडल का रजिस्टर्ड करण समाप्त करने का निदेश देगा।

(6) ब्यूरो, इन विनियमों के विनियम 16 के अधीन मानक एवं लेबलिंग कार्यक्रम संबंधी प्रचालन मैनुअल में अनुसरण की जाने वाली विस्तृत प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करेगा।

14. परीक्षण जाँच - (1) ब्यूरो अथवा राज्य पदाभिहित अभिकरण, यथास्थिति, स्वतः संज्ञान लेते हुए अथवा किसी शिकायत की प्राप्ति पर, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपकरण अथवा उपस्कर, अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन विनिर्दिष्ट ऊर्जा प्रदर्शन मानकों एवं मानदंडों तथा अनुसूची-ख में विनिर्दिष्ट उपकरण अथवा उपस्कर के अनुरूप हैं, परीक्षण जांच करेगी।

(2) स्वतः संज्ञान सत्यापन के लिए, ब्यूरो अथवा राज्य पदाभिहित अभिकरण, यथोचित रूप से, विनिर्माण सुविधाओं, खुले बाजार, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अथवा किसी अन्य माध्यम से उपकरण का एक नमूना प्राप्त करे।

(3) ब्यूरो अथवा राज्य पदाभिहित अभिकरण, मॉडलों के ऊर्जा प्रदर्शन का, ऐसे प्रयोजन के लिए चिह्नित प्रयोगशालाओं में किए गए जांच परीक्षण के माध्यम से अथवा चिह्नित उपकरणों अथवा उपस्करों के सीधे भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा किए गए परीक्षण के ऊर्जा प्रदर्शन परिणामों को प्राप्त कर और उन पर भरोसा कर सत्यापन करे।

(4) प्रथम परीक्षण जांच के विफल हो जाने की स्थिति में, ब्यूरो अथवा राज्य पदाभिहित अभिकरण, पहले परीक्षण में प्रयुक्त उसी मॉडल के दोगुनी मात्रा के साथ दो पृथक् रूप से चिह्नित प्रयोगशालाओं में दूसरा परीक्षण

करेगी। ब्यूरो अथवा राज्य पदाभिहित अभिकरण दूसरी परीक्षण जांच को देखने के लिए अनुज्ञप्तिधारी को निर्धारित तिथि से कम से कम पंद्रह दिन पहले सूचित करेगी।

परंतु, दूसरी परीक्षण जांच किए जाने की स्थिति में, अनुज्ञप्तिधारी दूसरी परीक्षण जांच के संचालन के दौरान होने वाली सभी लागतों और खर्चों के वहन हेतु पूर्णरूपेण उत्तरदायी होगा। यदि दूसरी परीक्षण जांच के लिए एकत्र किए गए कोई एक अथवा दोनों नमूने विफल हो जाते हैं, तो इसे परीक्षण जांच में विफलता कहा जाएगा।

परंतु यदि अनुज्ञप्तिधारी परीक्षण जांच के साक्ष्यांकन में विफल रहता है, तो परीक्षण के परिणाम वैध और बाध्यकारी माने जाएंगे, और तदनुसार कार्रवाई शुरू की जाएगी।

परंतु यह भी कि यदि दूसरी परीक्षण जांच के लिए दो नमूने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म सहित बाजार में उपलब्ध नहीं हैं, और नमूनों का पता लगाने के सभी प्रयास विफल हो जाते हैं, तो पहले नमूने के जांच परीक्षण के परिणाम को अंतिम माना जाएगा और अनुज्ञप्तिधारी के लिए बाध्यकारी होगा।

(5) उप-विनियम (1) के अधीन प्राप्त शिकायत पर शुरू की गई परीक्षण जांच के लिए, शिकायतकर्ता परीक्षण से संबंधित सभी लागत और खर्चों को, ब्यूरो द्वारा निर्धारित समय के भीतर, ब्यूरो के पास जमा करेगा, और यदि परीक्षण जांच के अधीन लिया गया नमूना विफल हो जाता है तो, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सभी लागत और खर्चों की ब्यूरो को प्रतिपूर्ति की जाएगी और ब्यूरो शिकायतकर्ता को उपरोक्त खर्चों को वापस कर देगा; और जहां नमूना परीक्षण जांच में सफल रहता है, तब, शिकायतकर्ता द्वारा जमा किए गए खर्चों को जब्त कर लिया जाएगा।

15. परीक्षण जांच में विफलता - (1) यदि उपकरण अथवा उपस्कर, विनियम 14 के उपबंध के अनुसार संचालित परीक्षण जांच में विफल रहता है, तो ब्यूरो अथवा राज्य पदाभिहित अभिकरण निम्नलिखित कार्रवाई करेगी:

(क) उपभोक्ताओं के लाभ के लिए, परीक्षण जांच की विफलता की सूचना की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर, किसी राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र, इलेक्ट्रॉनिक अथवा सोशल मीडिया अथवा ब्यूरो की वेबसाइट अथवा यथोचित किसी अन्य रीति से अनुज्ञप्तिधारी के नाम, ब्रांड नाम, मॉडल के नाम अथवा मॉडल नंबर, लोगो एवं अन्य विनिर्देशनों सहित ब्यौरे प्रकाशित करेगा, किंतु यह इसी तक सीमित नहीं होगा। ब्यूरो इस प्रकार के विज्ञापन को प्रकाशित करने की लागत की अनुज्ञप्तिधारी से वसूली करेगा जो विनियम 4 में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिभूति जमा की राशि तक सीमित होगा।

परंतु यदि अनुज्ञप्तिधारी उपर्युक्त विज्ञापन के प्रकाशन की लागत से संबंधित व्यय को एक माह की अवधि के भीतर जमा करने में विफल रहता है, तो ब्यूरो, उक्त लागत के जमा किए जाने तक, उस उपकरण अथवा उपस्कर श्रेणी का रजिस्टर्ड करण निलंबित कर देगा;

(ख) परीक्षण जांच की विफलता की सूचना की तारीख से दो माह की अवधि के भीतर, सभी राज्य पदाभिहित अभिकरणों को सूचित करते हुए, अनुज्ञप्तिधारी को निदेशित करेगा कि -

(i) ब्यूरो के निदेशों का पालन करने के लिए बाजार से सभी स्टॉक वापस ले ले;

- (ii) सभी विज्ञापन सामग्रियों पर प्रदर्शित विवरण बदल दे;
 - (iii) उपकरण के लेबल पर प्रदर्शित स्टार स्तर को ठीक करे; तथा
 - (iv) संबंधित उपकरण अथवा उपस्कर के मौजूदा और नए स्टॉक से जांच के दौरान पाए गए दोषों और कमियों अथवा गैर-अनुपालनों को दूर करने हेतु सुधारात्मक कार्रवाई करे।
- (ग) अनुज्ञप्तिधारी को उपर्युक्त सूचना जारी किए जाने की तारीख से दो माह की अवधि की समाप्ति के उपरांत दस दिनों की अवधि के भीतर, प्रचालन मैनुअल में विनिर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार, ब्यूरो को की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देगा;
- (घ) ऊर्जा संरक्षण (अनुपालन प्रवर्तन) नियम, 2025 के अनुसार जुर्माना लगाने की कार्रवाई शुरू करेगी।

(2) यदि अनुज्ञप्तिधारी इस विनियम के उप-विनियम (1) के अधीन जारी निदेशों का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो ब्यूरो, विनियम 4 के अधीन उक्त उपकरण अथवा उपस्कर की श्रेणी के लिए अनुज्ञप्तिधारी को प्रदान की गई लेबल चिपकाने की अनुमति को न्यूनतम तीन माह की अवधि के लिए अथवा अनुपालन किए जाने तक वापस लेने का आदेश पारित करेगा तथा ऐसे आदेश की प्रति सभी राज्य पदाभिहित अभिकरणों को भी भेजेगा।

16. मानक और लेबलिंग कार्यक्रम से संबंधित प्रचालन मैनुअल (1) ब्यूरो अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुरूप मानक और लेबलिंग कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए अपनी वेबसाइट पर एक प्रचालन मैनुअल प्रकाशित करेगा। उक्त प्रचालन मैनुअल में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात्:

- (क) ब्यूरो अथवा राज्य पदाभिहित अभिकरण द्वारा बाजार निगरानी गतिविधि अथवा किसी अन्य समान गतिविधि को आरंभ करने की प्रक्रिया;
- (ख) परीक्षण जांच करने की प्रक्रिया; तथा
- (ग) अपेक्षित प्रारूप।

धीरज कुमार श्रीवास्तव, महानिदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./575/2025-26]

अनुसूची - क

अनिवार्य उपकरणों अथवा उपस्करों की उनकी लेबलिंग फीस सहित सूची

[विनियम 2(1)(च) और 9 देखें]

क्र.सं.	उपकरण का नाम	लेबल का प्रकार	लेबल फीस (रुपए में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर	प्रति 1 नग	15
1क.	डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर	प्रति 1 नग	15
1ख.	डीप फ्रीजर	प्रति 1 नग	25
2.	रूम एयर कंडीशनर (निश्चित गति)	प्रति 1 नग	30
2क.	रूम एयर कंडीशनर (परिवर्तनीय गति)	प्रति 1 नग	30
2ख.	हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर	प्रति 1 नग	95
2ग.	आरएसी (कैसेट, फ्लोर स्टैंडिंग टॉवर, सीलिंग, कॉर्नर एसी)	प्रति 1 नग	30
2घ.	चिलर	प्रति 1 किलोवाट	5
3.	इलेक्ट्रिक सीलिंग टाइप फैन	प्रति 1 नग	2
4.	स्थिर भंडारण प्रकार के इलेक्ट्रिक वॉटर हीटर	प्रति 1 नग	5
5.	रंगीन टेलीविजन	प्रति 1 नग	10
5क.	अल्ट्रा हाई डेफिनिशन टेलीविजन	प्रति 1 नग	30

6.	वाँशिंग मशीन	प्रति 1 नग	30
7.	ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप	प्रति 100 नग	5
7क.	स्व-बैलेस्टेड एलईडी लैंप	प्रति 100 नग	10
8	वितरण ट्रांसफार्मर	प्रति 1 नग	100
9.	ग्रिड कनेक्टेड सोलर इन्वर्टर	प्रति किलोवाट	5
10.	घरेलू तरलीकृत पेट्रोलियम गैस स्टोव	प्रति 1 नग	1

अनुसूची - ख
स्वैच्छिक उपकरणों अथवा उपस्करों की सूची
[विनियम 2(1)(ठ) और 9 देखें]

क्र.सं.	उपकरण का नाम	लेबल का प्रकार	लेबल फीस (रुपए में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सामान्य प्रयोजन औद्योगिक मोटर	प्रति 1 किलोवाट	5
1क.	एयर कंप्रेसर	प्रति 1 किलोवाट	10
2.	सबमर्सिबल पंप सेट	प्रति 1 नग	20
2क.	ओपनवेल पंप सेट	प्रति 1 नग	20
2ख.	इलेक्ट्रिक मोनो पंप सेट	प्रति 1 नग	20
2ग.	कृषि प्रयोजनों के लिए डीजल इंजन चालित मोनोसेट पंप	प्रति 1 नग	15
3.	माइक्रोवेव ओवन	प्रति 1 नग	20
3क.	इंडक्शन हॉब	प्रति 1 नग	5
4.	कंप्यूटर (नोटबुक/लैपटॉप)	प्रति 1 नग	20
4क.	ऑफिस ऑटोमेशन उत्पाद	प्रति % एमआरपी	0.05
5	बैलास्ट (इलेक्ट्रॉनिक/चुंबकीय)	प्रति 100 नग	10
6	सॉलिड स्टेट इन्वर्टर	प्रति 1 नग	5
7	डीजल जनरेटर सेट	प्रति 1 नग	35

8	सोलर वॉटर हीटर	प्रति 100 एलपीडी	5
9	टायर/टायर	प्रति 1 नग	2
10	उच्च-ऊर्जा लिथियम-आयन कर्षण बैटरी पैक और प्रणाली	प्रति 1 केडब्ल्यूएच	10
11.	पेडस्टल फैन	प्रति 1 नग	1
11क.	टेबल/वॉल फैन	प्रति 1 नग	1
12	पैकेज्ड बॉयलर	प्रति टीपीएच	200
13.	साइड बाय साइड/मल्टी डोर रेफ्रिजरेटर	प्रति 1 नग	30
13क.	वाणिज्यिक बिवरेज कूलर	प्रति 1 नग	15
13ख.	रेफ्रिजरेट कंप्रेसर्स	प्रति 1 किलोवाट	20
14	सौर फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल	प्रति वाट	0.025
15.	वाष्पीकरणीय एयर कूलर	प्रति 1 नग	5
16.	ईवी चार्जर	प्रति 1 किलोवाट	5

अनुसूची – ग

लेबल पर प्रदर्शित किए जाने वाले विवरण और लेबल के प्रदर्शन की रीति

[विनियम 6 और 7 देखें]


लेबल का डिज़ाइन, रंग, आकार और सामग्री निम्नानुसार होगी:

1. फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर और डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर

(i) आयाम



(ii) रंग स्कीम



(iii) लेबल सामग्री: लेबल स्वयं चिपकने वाली सामग्री का होना चाहिए। विनियमों द्वारा अपेक्षित चिन्हांकन सुपाठ्य, अमिट एवं टिकाऊ होंगे।

(iv) लेबल का स्थान: लेबल को प्रत्येक उपकरण के सामने की ओर मजबूती से चिपकाया जाएगा और आसानी से दिखाई देना चाहिए तथा अनुज्ञप्तिधारी सुनिश्चित करेगा कि लेबल विक्रय बिंदु पर रजिस्टर्ड मॉडल की प्रत्येक यूनिट पर दिखाई दे और लेबल को रजिस्टर्ड मॉडल की प्रत्येक यूनिट के पैकेजिंग बॉक्स पर भी मुद्रित अथवा चिपकाया जाए।

2. स्थिर भंडारण प्रकार का इलेक्ट्रिक वॉटर हीटर

(i) आयाम



(ii) रंग स्कीम




- (iii) लेबल सामग्री: लेबल स्वयं चिपकने वाली सामग्री का होना चाहिए। विनियमों द्वारा अपेक्षित चिन्हांकन सुपाठ्य, अमिट एवं टिकाऊ होंगे।
- (iv) लेबल का स्थान: लेबल को प्रत्येक उपकरण के सामने की ओर मजबूती से चिपकाया जाएगा और आसानी से दिखाई देना चाहिए तथा अनुज्ञप्तिधारी सुनिश्चित करेगा कि लेबल विक्रय बिंदु पर रजिस्टर्ड मॉडल की प्रत्येक यूनिट पर दिखाई दे और लेबल को रजिस्टर्ड मॉडल की प्रत्येक यूनिट के पैकेजिंग बॉक्स पर भी मुद्रित अथवा चिपकाया जाए।

3. क. रंगीन टेलीविजन

(i) आयाम




(ii) रंग स्कीम




- (iii) लेबल सामग्री: लेबल स्वयं चिपकने वाली सामग्री का होना चाहिए। विनियमों द्वारा अपेक्षित चिन्हांकन सुपाठ्य, अमिट एवं टिकाऊ होंगे।
- (iv) लेबल का स्थान: लेबल को प्रत्येक उपकरण के सामने की ओर मजबूती से चिपकाया जाएगा और आसानी से दिखाई देना चाहिए तथा अनुज्ञप्तिधारी सुनिश्चित करेगा कि लेबल विक्रय बिंदु पर रजिस्टर्ड मॉडल की प्रत्येक यूनिट पर दिखाई दे और लेबल को रजिस्टर्ड मॉडल की प्रत्येक यूनिट के पैकेजिंग बॉक्स पर भी मुद्रित अथवा चिपकाया जाए।

ख. अल्ट्रा हाई डेफिनिशन टेलीविजन

(i) आयाम




(ii) रंग स्कीम




- (iii) लेबल सामग्री: लेबल सामग्री: लेबल स्वयं चिपकने वाली सामग्री का होना चाहिए। विनियमों द्वारा अपेक्षित चिन्हांकन सुपाठ्य, अमिट एवं टिकाऊ होंगे।
- (iv) लेबल का स्थान: लेबल को प्रत्येक उपकरण के सामने की ओर मजबूती से चिपकाया जाएगा और आसानी से दिखाई देना चाहिए तथा अनुज्ञप्तिधारी सुनिश्चित करेगा कि लेबल विक्रय बिंदु पर रजिस्टर्ड मॉडल की प्रत्येक यूनिट पर दिखाई दे और लेबल को रजिस्टर्ड मॉडल की प्रत्येक यूनिट के पैकेजिंग बॉक्स पर भी मुद्रित अथवा चिपकाया जाए।

4. वॉशिंग मशीन

(i) आयाम



(ii) रंग स्कीम:



- (iii) लेबल सामग्री: लेबल स्वयं चिपकाने वाली सामग्री का होगा। विनियमों द्वारा अपेक्षित चिन्हांकन सुपाठ्य, अमिट और टिकाऊ होंगे।
- (iv) लेबल का स्थान: लेबल को प्रत्येक उपकरण के सामने की ओर मजबूती से चिपकाया जाएगा और आसानी से दिखाई देना चाहिए तथा अनुज्ञप्तिधारी सुनिश्चित करेगा कि लेबल विक्रय बिंदु पर रजिस्टर्ड कृत मॉडल की प्रत्येक यूनिट पर दिखाई दे और लेबल को रजिस्टर्ड कृत मॉडल की प्रत्येक यूनिट के पैकेजिंग बॉक्स पर भी मुद्रित या चिपकाया जाए।

5. क. रूम एयर कंडीशनर (नियत गति/परिवर्ती गति/स्पीड/कैसेट, फ्लोर स्टैंडिंग टॉवर, सीलिंग, कॉर्नर एसी)

(i) आयाम



टिप्पण: - एक टन प्रशीतन 3517 वाट के समतुल्य होता है। गणना किए गए टनभार को दो दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित किया जाएगा।

(ii) रंग स्कीम




(iii) लेबल सामग्री: लेबल स्वयं चिपकाने वाली सामग्री का होगा। विनियमों द्वारा अपेक्षित चिन्हांकन सुपाठ्य, अमिट और टिकाऊ होंगे।


(iv) लेबल का स्थान: लेबल को प्रत्येक उपकरण के सामने की ओर मजबूती से चिपकाया जाएगा और आसानी से दिखाई देना चाहिए तथा अनुज्ञप्तिधारी सुनिश्चित करेगा कि लेबल विक्रय बिंदु पर रजिस्टर्ड मॉडल की प्रत्येक यूनिट पर दिखाई दे और लेबल को रजिस्टर्ड मॉडल की प्रत्येक यूनिट के पैकेजिंग बॉक्स पर भी मुद्रित या चिपकाया जाए।

ख. हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर

(i) आयाम



(ii) रंग स्कीम




(iii) लेबल सामग्री: लेबल स्वयं चिपकने वाली सामग्री का होगा। विनियमों द्वारा अपेक्षित चिन्हांकन सुपाठ्य, अमिट और टिकाऊ होंगे।

(iv) लेबल का स्थान: लेबल को प्रत्येक उपकरण के सामने की ओर मजबूती से चिपकाया जाएगा और आसानी से दिखाई देना चाहिए तथा अनुज्ञप्तिधारी सुनिश्चित करेगा कि लेबल विक्रय बिंदु पर रजिस्टर्ड मॉडल की प्रत्येक यूनिट पर दिखाई दे और लेबल को रजिस्टर्ड मॉडल की प्रत्येक यूनिट के पैकेजिंग बॉक्स पर भी मुद्रित या चिपकाया जाए।


6. ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप

(i) आयाम

क) पैकेजिंग पर



ख) उपकरण अथवा उपस्कर पर



(ii) रंग स्कीम



(iii) लेबल सामग्री: लेबल स्वयं चिपकने वाली सामग्री का होगा। विनियमों द्वारा अपेक्षित चिन्हांकन सुपाठ्य, अमित और टिकाऊ होंगे।

(iv) लेबल का स्थान: लेबल को प्रत्येक उपकरण के सामने की ओर मजबूती से चिपकाया जाएगा और आसानी से दिखाई देना चाहिए तथा अनुज्ञप्तिधारी सुनिश्चित करेगा कि लेबल विक्रय बिंदु पर रजिस्टर्ड मॉडल की प्रत्येक यूनिट पर दिखाई दे और लेबल को रजिस्टर्ड मॉडल की प्रत्येक यूनिट के पैकेजिंग बॉक्स पर भी मुद्रित या चिपकाया जाए।


7. सेल्फ-बैलेस्टेड एलईडी लैंप

(i) आयात

1. पैकेजिंग पर



2. उपकरण पर



टिप्पण: क्यूआर कोड 5वाट से अधिक रेटिंग वाले एलईडी लैंप पर चिपकाया जाएगा।

(ii) रंग स्कीम



(iii) लेबल सामग्री: लेबल स्वयं चिपकाने वाली सामग्री का होगा। विनियमों द्वारा अपेक्षित चिन्हांकन सुपाठ्य, अमिट और टिकाऊ होंगे।

(iv) लेबल का स्थान: लेबल को प्रत्येक उपकरण के सामने की ओर मजबूती से चिपकाया जाएगा और आसानी से दिखाई देना चाहिए तथा अनुज्ञप्तिधारी सुनिश्चित करेगा कि लेबल विक्रय बिंदु पर रजिस्टर्ड मॉडल की प्रत्येक यूनिट पर दिखाई दे और लेबल को रजिस्टर्ड मॉडल की प्रत्येक यूनिट के पैकेजिंग बॉक्स पर भी मुद्रित या चिपकाया जाए।

8. चिलर

(i) आयाम




(ii) रंग स्कीम




- (iii) लेबल सामग्री: लेबल स्वयं चिपकने वाली सामग्री का होना चाहिए। विनियमों द्वारा अपेक्षित चिन्हांकन सुपाठ्य, अमिट और टिकाऊ होंगे।
- (iv) लेबल का स्थान: लेबल को प्रत्येक उपकरण के सामने की ओर मजबूती से चिपकाया जाएगा और आसानी से दिखाई देना चाहिए तथा अनुज्ञप्तिधारी सुनिश्चित करेगा कि लेबल रजिस्टर्ड मॉडल की प्रत्येक इकाई पर दिखाई दे।

9. डीप फ्रीजर

(i) आयात



(ii) रंग स्कीम



- (iii) लेबल सामग्री: लेबल स्वयं चिपकने वाली सामग्री का होना चाहिए। विनियमों द्वारा अपेक्षित चिन्हांकन सुपाठ्य, अमिट और टिकाऊ होंगे।
- (iv) लेबल का स्थान: लेबल को प्रत्येक उपकरण के सामने की ओर मजबूती से चिपकाया जाएगा और आसानी से दिखाई देना चाहिए तथा अनुज्ञप्तिधारी सुनिश्चित करेगा कि लेबल विक्रय बिंदु पर रजिस्टर्ड मॉडल की प्रत्येक इकाई पर दिखाई दे और लेबल को रजिस्टर्ड मॉडल की प्रत्येक इकाई के पैकेजिंग बॉक्स पर भी मुद्रित किया जाए या चिपकाया जाए।

10. वितरण ट्रांसफार्मर

(i) आयाम



(ii) रंग स्कीम



(iii) लेबल सामग्री: लेबल स्वयं चिपकने वाली सामग्री का होना चाहिए। विनियमों द्वारा आवश्यक चिह्न सुपाठ्य, अमिट और टिकाऊ होंगे।

(iv) लेबल का स्थान: लेबल प्रत्येक उपकरण के सामने की ओर मजबूती से चिपकाया जाएगा और आसानी से दिखाई देना चाहिए।

11. इलेक्ट्रिक सीलिंग टाइप फैन

(i) आयात

3. पैकेजिंग पर



4. उपकरण पर



(ii) रंग स्कीम



(iii) लेबल सामग्री: लेबल स्वयं चिपकने वाली सामग्री का होना चाहिए। विनियमों द्वारा अपेक्षित चिन्हांकन सुपाठ्य, अमिट और टिकाऊ होंगे।

(iv) लेबल का स्थान: लेबल को प्रत्येक उपकरण के सामने की ओर मजबूती से चिपकाया जाएगा और आसानी से दिखाई देना चाहिए तथा अनुज्ञप्तिधारी सुनिश्चित करेगा कि लेबल विक्रय बिंदु पर रजिस्टर्ड मॉडल की प्रत्येक इकाई पर दिखाई दे और लेबल को रजिस्टर्ड मॉडल की प्रत्येक इकाई के पैकेजिंग बॉक्स पर भी मुद्रित किया जाए या चिपकाया जाए।

12. ग्रिड कनेक्टेड सोलर इन्वर्टर

(i) आयाम




(ii) रंग स्कीम



- (iii) लेबल सामग्री: लेबल स्वयं चिपकने वाली सामग्री का होना चाहिए। विनियमों द्वारा अपेक्षित चिन्हांकन सुपाठ्य, अमिट और टिकाऊ होंगे।
- (iv) लेबल का स्थान: लेबल को प्रत्येक उपकरण के सामने की ओर मजबूती से चिपकाया जाएगा और आसानी से दिखाई देना चाहिए तथा अनुज्ञप्तिधारी सुनिश्चित करेगा कि लेबल विक्रय बिंदु पर रजिस्टर्ड मॉडल की प्रत्येक इकाई पर दिखाई दे और लेबल को रजिस्टर्ड मॉडल की प्रत्येक इकाई के पैकेजिंग बॉक्स पर भी मुद्रित अथवा चिपकाया जाए।

13. एलपीजी स्टोव

(i) आयाम



(ii) रंग योजना



- (iii) लेबल सामग्री: लेबल स्वयं चिपकाने वाली सामग्री का होना चाहिए। विनियमों द्वारा अपेक्षित चिन्हांकन सुपाठ्य, अमिट और टिकाऊ होंगे।
- (iv) लेबल का स्थान: लेबल को प्रत्येक उपकरण के सामने की ओर मजबूती से चिपकाया जाएगा और आसानी से दिखाई देना चाहिए तथा अनुज्ञप्तिधारी सुनिश्चित करेगा कि लेबल विक्रय बिंदु पर रजिस्टर्ड मॉडल की प्रत्येक इकाई पर दिखाई दे और लेबल को रजिस्टर्ड मॉडल की प्रत्येक इकाई के पैकेजिंग बॉक्स पर भी मुद्रित किया जाए या चिपकाया जाए।

अनुसूची-घ

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (उपकरण लेबलिंग और अनुपालन) विनियम, 2026 द्वारा अधिक्रमित किए गए विनियमों की सूची

क्र. सं.	भारत के राजपत्र में अधिसूचित विनियम का नाम	विनियम सं. और अधिसूचना की तारीख
(1)	(2)	(3)
(1)	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (प्रशीतक के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2022	फा. सं. बीईई/एसएंडएल/रेफ./70/ 2021-22 तारीख 30 सितंबर, 2022
(2)	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वाशिंग मशीन के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023	फा. सं. बीईई/एसएंडएल/डब्ल्यूएम/ 06/22-23 तारीख 31 अक्टूबर 2023
(3)	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कक्ष वातानुलक के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2017	फा. सं. बीईई/एसएंडएल/एसी/37/ 2017-18 तारीख 29 नवंबर 2017
(4)	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (चिल्लर्स के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023	फा. सं. बीईई/एसएंडएल /चिलर/40/ 2021- 22 तारीख 20 सितंबर, 2023
(5)	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023	फा. सं. बीईई/एसएंडएल/एलसीएसी/ 37/2022-23 तारीख 27 फरवरी, 2023
(6)	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023	फा. सं. बीईई/एसएंडएल/यूएचडी/02/ 2022-23 तारीख 3 मार्च, 2023
(7)	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वितरण ट्रांसफार्मरों के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 और 29 दिसंबर 2022 की अधिसूचना द्वारा संशोधित	फा. सं. बीईई/एसएंडएल/डीटी/01/ 22- 23 तारीख 29 दिसंबर 2022
(8)	12 दिसंबर 2022 की अधिसूचना द्वारा संशोधित ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (भंडार किस्म के जल हीटर के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2016 को ।	फा. सं. बीईई/एसएंडएल/वॉटर हीटर/ 3/2015-16 तारीख 7 सितंबर 2016
(9)	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैम्प के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023	फा. सं. बीईई/एसएंडएल/टीएफएल/ 22-23 तारीख 22 जून, 2023
(10)	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (सेल्फ बालास्ट एलईडी लैंप के लेबल पर उनके संप्रदर्शन करने का विवरण और रीति) विनियम, 2023	फा. सं. बीईई/एसएंडएल/एलईडी/ 52/2023 तारीख 22 जून, 2023

(11)	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कलर टेलीविजन के लेबलों पर उनके प्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2016	फा. सं. बीईई/एसएंडएल/सीटीवी/02/2016-17 तारीख 26 मई, 2016
(12)	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (डीप फ्रीजर के लेबलों पर विवरण और उनके प्रदर्शन की रीति) विनियम, 2023	फा. सं. बीईई/एसएंडएल/डीप फ्रीजर/128/2022-23 तारीख 31 जनवरी 2023
(13)	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (इलेक्ट्रिक सीलिंग टाइप फैन के लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण और रीति) विनियम, 2022	फा. सं. बीईई/एसएंडएल/सीलिंग फैन/05/2019-20 तारीख 19 मई, 2022

THE BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th December, 2025

No. 5506/BEE/S&L/AL/2025-26.—Whereas to establish a comprehensive framework governing the display of essential information on labels, including their particulars, manner and time-limits, to establish the process for applying for and granting permission to affix such labels, the following draft regulations were published for public consultation as required under sub-section (1) of section 58 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby, namely :—

- (a) the Bureau of Energy Efficiency (Appliance Labelling) Regulations, 2025, *vide* notification number 5506/BEE/S&L/AL/2025-26, dated the 10th July, 2025;
- (b) the Bureau of Energy Efficiency (Label Particulars) Regulations, 2025, *vide* notification number 5506/BEE/S&L/LP/2025-26, dated the 10th July, 2025;
- (c) the Bureau of Energy Efficiency (Labelling Fees) Regulations, 2025, *vide* notification number 5506/BEE/S&L/FR/2025-26, dated the 10th July, 2025; and
- (d) the Bureau of Energy Efficiency (Labelling Compliance) Regulations, 2025, *vide* notification number 5506/BEE/S&L/LC/2025-26, dated the 10th July, 2025;

And whereas copies of the said draft regulations were made available to the public on 16th day of July, 2025;

And whereas suggestions received with respect to the said draft regulations, have been taken into consideration.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (i) and (l) of sub-section (2) of section 58 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001) and in supersession of the regulations specified in Schedule D of these regulations, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Bureau, with the previous approval of the Central Government hereby makes the following regulations, namely :—

REGULATIONS

CHAPTER I

General

1. Short title and commencement.— (1) These regulations may be called the Bureau of Energy Efficiency (Appliance Labeling and Compliance) Regulations, 2026.

(2) These regulations shall come into force on the 1st day of January, 2026.

2. Definitions.—(1) In these regulations, unless the context otherwise requires,—

(a) “Act” means the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001);

(b) “country of Origin” means country where the appliances or equipments have been manufactured, assembled or substantially processed, irrespective of the origin of some of its components.

(c) “endorsement label” is a mark that guarantees efficiency of an appliance or equipment, by assuring that the appliance or equipment meet minimum energy performance standards specified in the rating system of the respective appliance or equipment and it informs prospective purchasers that the product is energy efficient for its category;

(d) “label” means a printed matter, affixed to, or displayed on an appliance or equipment as specified in Schedule C of these regulations;

(e) “label series” means the validity of the energy performance standard of the specified appliance or equipment;

(f) “mandatory appliance or equipment” shall include appliance or equipment as specified under Schedule A of these regulations;

(g) “permittee” means any person dealing in any appliance or equipment specified in the Schedule A and B of these regulations and to whom permission has been granted by the Bureau to affix the label on any appliance or equipment;

(h) “person” means and includes any individual, association or body of persons, partnership firm, limited liability partnership and company, whether incorporated or not;

(i) “Schedule” means schedules annexed to these regulations;

(j) “star rating or star level” means the level of energy performance displayed on the label of the appliance or equipment based on their respective notification issued by the Central Government under clause (a) of Section 14 of the Act;

(k) “State designated agency” means any agency designated under clause (d) of section 15 of the Act;

(l) “voluntary appliance or equipment” shall include appliance or equipment specified under Schedule B of these regulations.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meaning assigned to them in the Act.

CHAPTER II

APPLIANCE LABELLING AND REGISTRATION

3. No label on any appliances or equipment as specified in Schedule A and Schedule B of these regulations shall be affixed without prior written permission from the Bureau.

4. Application for permission for label display.— (1) Each company that manufactures or sells or imports appliances or equipment as specified in Schedule A of these regulations shall be required to register with the Bureau and submit an application accompanied by a one-time application fee of five thousand rupees.

(2) A company registered under sub-regulation (1) of this regulation shall be required to apply for registration for each and every equipment or appliance separately and shall submit an application accompanied by a label security deposit of three lakhs rupees per appliance or equipment :

Provided that in the case of a small-scale industry, the label security deposit shall be fifty thousand rupees only.

(3) A company registered in the sub-regulation (1) of this regulation, shall be required to register for each model of the appliance or equipments and shall submit an application accompanied by a model registration fee of five thousand rupees per application:

Provided that a company that manufactures or imports or sells the appliances or equipments specified in Schedule B, may register their company and their appliances or equipments in accordance with the procedure provided in the Operational Manual.

5. Grant of permission.— (1) The Bureau shall complete the scrutiny of applications received under regulation 4 of these regulations as per the procedure laid down in the Operational Manual under regulation 16 of these regulations within a period not exceeding thirty working days from the date of the receipt of application:

Provided that in cases where discrepancies are found in the applications received, the Bureau shall put these applications on hold and shall provide the applicants a period not exceeding sixty days to take suitable action, failing which the application shall be cancelled.

(2) After being satisfied that the applications received under regulation 4 of these regulations comply with all the requirements specified in these regulations, the Bureau shall –

- (a) register the company and appliances or equipment;
- (b) grant permission to affix labels on permitted models for a period of three years;
- (c) make entries in the permittee register.

(3) To renew permission for continuance to affix a label on the permitted model, each permittee shall, before the expiry of such permission previously granted, shall submit an application to the Bureau. The renewal application shall be processed within a period of thirty days from the date of receipt of the application:

Provided that no fee shall be payable for the renewal or for continuance to affix a label on the permitted model, where the star ratings or endorsement label have been revised or for continuation of an existing star rating plan or endorsement label, as the case may be.

(4) If the energy performance standards are revised during the validity of the permission period, the Bureau shall inform the revised energy performance standards to the permittee. Upon receipt of such information, the permittee shall submit a self-declaration form to the Bureau within a period of sixty days from the date of notification or before the period of validity mentioned in the label series, confirming compliance with the revised energy performance standards and the affixation of labels reflecting the revised standards.

(5) The Bureau may revoke permissions granted for affixing labels, if the permittee fails to —

- (a) comply with the specific energy performance standards fixed under the Act, with respect to the appliance or equipment under Schedule A and Schedule B ;
- (b) comply with the provisions of regulation 7, providing the manner of display of the label under these regulations;
- (c) pay the label fee as fixed under regulation 9 of these regulations;
- (d) affix labels only to permitted models;
- (e) ensure that the affixed labels are legible and well maintained;
- (f) provide an updated list of authorized sellers by 30th April of each year;
- (g) comply with other terms and conditions as may be specified in the Operational Manual on Standards and Labelling;
- (h) comply with the directions as specified in Chapter III of these regulations:

Provided that no permission shall be revoked without giving the permittee a reasonable opportunity to be heard.

6. Particulars to be displayed on the label.— On every appliance or equipment as specified in Schedule A and Schedule B of these regulations, the following particulars shall be displayed on its label, namely:—

- (a) name of appliances or equipment;
- (b) name of brand;
- (c) model number;
- (d) energy performance parameter;

- (e) label series;
- (f) rated capacity/output (as applicable);
- (g) star level or endorsement;
- (h) country of origin;
- (i) the logo of the Bureau of Energy Efficiency;
- (j) any other appliances or equipment specific parameters as specified in Schedule C of these regulations.

7. Manner of display of label.— (1) There shall be a label along with a Quick Response code embedded with particulars required under regulation 6 of these regulations on every appliance or equipment as specified in Schedule A and Schedule B of these regulations, in accordance with the manner provided in Schedule C of these regulations, for that appliance or equipment.

(2) The permittee shall ensure that the label is —

(a) easily visible; and

(b) appears on every registered unit or model at both online and offline point of sale.

(3) The star label may be printed or pasted on the packaging box of every unit of the registered model.

(4) The design, colour, size, content and placement of the label shall be as specified in Schedule C of these regulations.

(5) The label along with Quick Response code shall be of self-adhesive material.

(6) The markings required as per the provisions of Schedule C of these regulations shall be legible, indelible and durable. The Quick Response code shall be placed adjacent to the star label of the respective appliance and the dimensions of Quick Response code shall be such, as specified in Schedule C of these regulations on a minimum basis.

8. Time-limit for display of labels.— (1) A label, in accordance with the provisions of regulation 6 and 7, shall be displayed on every appliance or equipment as specified in Schedule A of these regulations within a period of six months from the date of commencement of these regulations while transitioning from voluntary to mandatory regime.

(2) When the energy performance standards for an appliance or equipment shall be revised and become effective, the permittee shall —

(a) stop production of appliances or equipment under the expired standards; and

(b) undertake preparatory measures (dealer awareness and consumer education).

(3) For a dummy display unit, a duplicate or replica of the star label corresponding to the particular model, shall be shown on the dummy units. The label shall clearly mark with the word “dummy” to indicate that it is not an original label.

9. Label Fee.— (1) For every mandatory appliance or equipment, the permittee shall pay to the Bureau a label fee as per Schedule A.

(2) For every voluntary appliance or equipment, the permittee shall pay to the Bureau a label fee as per Schedule B.

(3) The label fee specified under sub-regulations (1) and (2) above, shall be paid quarterly within a period of thirty days from the date of closure of each quarter of the financial year.

(4) The permittee shall furnish to the Bureau a statement containing details of production of labelled appliances or equipment and the accrued labelling fee due for each quarter within a period of thirty days from the date of closure of each quarter of the financial year and a reconciliation of the production data which is duly certified by a Chartered Accountant, shall be submitted to the Bureau within a period of two months from the date of closure of each financial year:

Provided that on failure to pay the label fee within the period specified under this regulation, the Bureau may recover the amount due with interest thereon at ten per cent. per annum from the label security deposit made under regulation 4 and if complete labelling fees are not recovered within a period of one year from the last date of submission, the Bureau may cancel all labels granted to the permittee and publish the name of the permittee in the newspapers as a defaulter.

(5) The prepaid label fee shall be payable by the permittee at the time of Quick Response code requisition on the web portal of the Bureau of Energy Efficiency, *namely*, Standards and Labeling web portal, with effect from the 1st day of April, 2027 onwards:

Provided that, in the absence of the above-mentioned prepaid label fee mechanism on the web portal of the Bureau, sub-regulations (3) and (4) of these regulations shall remain in force.

10. Refund of label security deposit.— (1) Subject to the provisions of regulation 4, a permittee shall be entitled to a refund of the interest free label security deposit upon ceasing the manufacturing of the mandatory or voluntary appliance or equipment, as the case may be.

(2) The Bureau shall refund the security deposit to the permittee within a period of thirty days from the date on which the permittee submits a written intimation of such permanent cessation of manufacture to the Bureau, as the case may be.

11. Mode of Payment.—All payments shall be made through an acceptable payment mode which includes payment through electronic mode in addition to already existing modes of payment.

CHAPTER III

LABELLING COMPLIANCE AND ENFORCEMENT

12. Compliance verification by the Bureau.— The Bureau or State designated agency, shall undertake verification at such intervals as may be deemed necessary to ensure that any appliance or equipment complies with the requirements as specified under these regulations through any of the following manners, namely :—

- (a) label verification as specified under regulation 13 of these regulations;
- (b) check testing as specified under regulation 14 of these regulations; and
- (c) any other reasonable methods deemed necessary by the Bureau to verify the compliance.

13. Label verification.— (1) The Bureau or State designated agency, shall undertake verification of the particulars displayed on the label affixed on any appliance or equipment by conducting market surveillance either through offline or online mode including through e-commerce platforms.

(2) For any non-compliances, including but not limited to affixing or selling appliances or equipment with counterfeit label or without label, altering genuine labels, replacing genuine labels with unauthorised labels and creating labels that mimic design, layout or content of genuine labels issued by the Bureau, detected by the Bureau or the State designated agency with respect to any appliance or equipment, the Bureau or State designated agency shall issue a show-cause notice to the permittee concerned, informing him regarding the identified non-compliance and seeking an explanation in writing within a period of thirty days of issuance of the show-cause notice.

(3) The Bureau or State designated agency shall also take necessary action in accordance with the provisions of the Act, or any other relevant laws, rules, regulations, or notifications applicable within the jurisdiction of India.

(4) In case the permittee does not submit an explanation to the satisfaction of the Bureau, within the prescribed time- limit, the Bureau shall undertake the following actions against the said permittee, namely:—

- (a) forfeit the label security deposit;
- (b) suspend the model registration under the appliance or equipment category for a period of one year and display the suspension details on official website of the Bureau; and
- (c) the Bureau or State designated agency shall initiate action to impose a penalty as per the Energy Conservation (Compliance Enforcement) Rules, 2025.

(5) In the event of any non-compliance, found in online mode including at any e-commerce platforms, the Bureau shall direct the e-commerce platform to de-register the specified model of appliance or equipment.

(6) The Bureau shall specify the detailed procedure to be followed in the Operation Manual on Standards and Labeling program under regulation 16 of these regulations.

14. Check testing.— (1) The Bureau or State designated agency may either *suo motu* or on receipt of a complaint, as the case may be, carry out check testing to ensure that the appliances or equipments, conforms to the energy performance standards and norms as specified under clause (a) of section 14 of the Act and the appliance or equipment specified under schedule B.

(2) For *suo moto* verification, the Bureau or State designated agency may procure a sample of the equipment from the manufacturing facilities, open market, online platforms or any other means, as it deems fit.

(3) The Bureau or State designated agency may verify the energy performance of models through check testing conducted at identified laboratories for such purpose or by directly obtaining and relying upon the energy performance results of testing of the identified appliances or equipment undertaken by the Bureau of Indian Standards;

(4) In the event the first check test fails, the Bureau or State designated agency shall conduct a second check test with twice the quantity of the same model used in the first test in two different identified laboratories. The Bureau or State designated agency shall intimate the permittee at least fifteen days prior to the scheduled date to witness the second check test :

Provided that in case the second check test is conducted, the permittee shall be solely liable to bear all costs and expenses incurred during the conduct of the second check test. In case any one or both samples collected for a second check test fail, it will be termed as failure in check testing :

Provided further that if the permittee fails to witness the check test, the test results shall be deemed to be valid and binding, and action shall be initiated accordingly:

Provided also that in case the two samples for second check test are not available in the market including e-commerce platforms, and all efforts to trace the samples fail, then result of check testing of the first sample shall be treated as final and shall be binding on the permittee.

(5) For check testing initiated upon a complaint received under sub-regulation (1), the complainant shall deposit all cost and expenses relating to testing, with the Bureau, within such time, as may be determined by the Bureau, and if the sample drawn under check testing fails, all cost and expenses, shall be reimbursed by the permittee to the Bureau and the Bureau shall refund the aforesaid expenses to the complainant and where the sample passes the check test, then, the expenses deposited by the complainant shall stand forfeited.

15. Failure in check testing.— (1) If the appliance or equipment fails in the check test, conducted as per the provisions of regulation 14 , the Bureau or State designated agency shall —

(a) publish within a period of two months from the date of intimation of failure of check test, for the benefit of the consumers, the details including but not limited to the name of the permittee, brand name, model name or number, logo and other specifications, in any national daily newspaper, electronic or social media or on the website of the Bureau or any other manner as it deems fit. The Bureau shall recover the cost of publishing such advertisement from the permittee limited to the amount of security deposit as specified in regulation 4:

Provided that in case the permittee fails to deposit the expenses towards the cost of publishing advertisement mentioned above within a period of one month , the Bureau shall suspend the registration of the appliance or equipment category until such cost is deposited ;

(b) direct the permittee, under intimation to all State designated agencies, within a period of two months from the date of intimation of failure of the check test, to—

- (i) withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau;
- (ii) change the particulars displayed on all advertising materials;
- (iii) correct the star level displayed on the label of the equipment;
- (iv) take corrective action to remove the defects and deficiencies or non- compliances found during check testing from the existing and new stock of the concerned appliance or equipment;

(c) direct the permittee to send an action taken report to the Bureau in the format as provided under the Operational Manual within a period of ten days of the conclusion of the period of two months from the date of issuance of aforesaid intimation;

(d) initiate action to impose a penalty as per the Energy Conservation (Compliance Enforcement) Rules, 2025.

(2) In the event, the permittee fails to comply with the directions issued under sub-regulation (1) of this regulation, the Bureau shall pass an order to withdraw the permission to affix the label granted to the permittee for said appliance or equipment category under regulation 4 for a minimum period of three months or till the compliance has been made and also send a copy of such order to all the State designated agencies.

16. Operational Manual on Standards and Labelling Programme.—The Bureau shall publish on its website an Operational Manual consistent with the provisions of the Act and rules made thereunder for the implementation of the Standards and Labelling Programme. The said Operational Manual shall, *inter-alia*, include the following, namely :—

- (a) procedure for undertaking the market surveillance activity or any other similar activity by the Bureau or State designated agency;
- (b) procedure for undertaking check testing; and
- (c) required formats.

DHIRAJ KUMAR SRIVASTAVA, Director General

[ADVT.-III/4/Exty./575/2025-26]

Schedule A**List of Mandatory Appliances or equipment along with their Labelling Fee**

[See regulations 2(1)(f) and 9]

Sl. No.	Name of Appliance	Label Type	Label Fee (in INR)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Frost Free Refrigerators	Per 1 Piece	15
1a.	Direct Cool Refrigerators	Per 1 Piece	15
1b.	Deep Freezers	Per 1 Piece	25
2.	Room Air Conditioners (Fixed Speed)	Per 1 Piece	30
2a.	Room Air Conditioners (Variable Speed)	Per 1 Piece	30
2b.	Light Commercial Air Conditioners	Per 1 Piece	95
2c.	RAC (Cassette, Floor Standing Tower, Ceiling, Corner AC)	Per 1 Piece	30
2d.	Chillers	Per 1 kW	5
3.	Electric Ceiling Type Fans	Per 1 Piece	2
4.	Stationary Storage Type Electric Water Heater	Per 1 Piece	5
5.	Colour Televisions	Per 1 Piece	10
5a.	Ultra-High Definition Televisions	Per 1 Piece	30
6.	Washing Machine	Per 1 Piece	30
7.	Tubular Fluorescent Lamps	Per 100 Pieces	5
7a.	Self-Ballasted LED Lamps	Per 100 Pieces	10
8	Distribution Transformers	Per 1 Piece	100
9.	Grid Connected Solar Inverter	Per kW	5
10.	Domestic Liquefied Petroleum Gas Stove	Per 1 Piece	1

Schedule B**List of voluntary appliances or equipments**

[See regulations 2 (1)(l) and 9]

Sl. No.	Name of Appliance	Label Type	Label Fee (INR)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	General Purpose Industrial Motor	Per 1 kW	5
1a.	Air Compressor	Per 1 kW	10
2.	Submersible Pump Set	Per 1 Piece	20
2a.	Openwell Pump Set	Per 1 Piece	20
2b.	Electric Mono Pump Set	Per 1 Piece	20
2c.	Diesel Engine Driven Monoset Pumps for Agricultural Purposes	Per 1 Piece	15
3.	Microwave Ovens	Per 1 Piece	20
3a.	Induction Hob	Per 1 Piece	5
4.	Computer (Notebook/ Laptops)	Per 1 Piece	20
4a.	Office Automation Products	Per % MRP	0.05
5	Ballast (Electronic/ Magnetic)	Per 100 Pieces	10
6	Solid State Inverter	Per 1 Piece	5
7	Diesel Generator Set	Per 1 Piece	35
8	Solar Water Heater	Per 100 LPD	5
9	Tyres /Tires	Per 1 Piece	2
10	High-Energy Lithium-Ion traction Battery packs and systems	Per 1 kWh	10
11.	Pedestal Fan	Per 1 Piece	1
11a.	Table/Wall Fan	Per 1 Piece	1
12	Packaged Boiler	Per TPH	200
13.	Side by Side/Multi Door Refrigerator	Per 1 Piece	30
13a.	Commercial Beverage Coolers	Per 1 Piece	15
13b.	Refrigerant Compressors	Per 1 kW	20
14.	Solar Photovoltaic Modules	Per Watt	0.025
15.	Evaporative Air Coolers	Per 1 Piece	5
16.	EV Charger	Per 1 kW	5

Schedule C

Particulars to be displayed on label and Manner of Display of Label
 [See regulations 6 and 7]


The design, colour, size and content of Label shall be as follows:

1. Frost Free Refrigerators and Direct Cool Refrigerators

(i) Dimension



(ii) Colour Scheme



(iii) Label material : The Label shall be of self – adhesive material. The markings required by the regulations shall be legible, indelible and durable

(iv) Placement of Label: The Label shall be firmly affixed at the front side of each appliance and should be easily visible and the Permittee shall ensure that the Label appears on every unit of the registered model at point of sale and the Label may also be printed or pasted on the packaging box of every unit of the registered model.

2. Stationary Storage Type Electric Water Heater

(i) Dimension



(ii) Colour Scheme



(iii) Label material : The Label shall be of self – adhesive material. The markings required by the regulations shall be legible, indelible and durable


(iv) Placement of Label: The Label shall be firmly affixed at the front side of each appliance and should be easily visible and the Permittee shall ensure that the Label appears on every unit of the registered model at point of sale and the Label may also be printed or pasted on the packaging box of every unit of the registered model.

3 A. Colour Televisions

(i) Dimension



(ii) Colour Scheme




(iii) Label material : The Label shall be of self – adhesive material. The markings required by the regulations shall be legible, indelible and durable.


(iv) Placement of Label: The Label shall be firmly affixed at the front side of each appliance and should be easily visible and the Permittee shall ensure that the Label appears on every unit of the registered model at point of sale and the Label may also be printed or pasted on the packaging box of the every unit of the registered model.

B. Ultra High Definition Televisions

(i) Dimension



(ii.) Colour Scheme




(iii) Label material : The Label shall be of self – adhesive material. The markings required by the regulations shall be legible, indelible and durable.


(iv) Placement of Label: The Label shall be firmly affixed at the front side of each appliance and should be easily visible and the Permittee shall ensure that the Label appears on every unit of the registered model at point of sale and the Label may also be printed or pasted on the packaging box of the every unit of the registered model.

4. Washing Machine

(i) Dimension



(ii) Colour Scheme



(iii) Label material : The Label shall be of self – adhesive material. The markings required by the regulations shall be legible, indelible and durable

(iv) Placement of Label: The Label shall be firmly affixed at the front side of each appliance and should be easily visible and the Permittee shall ensure that the Label appears on every unit of the registered model at point of sale and the Label may also be printed or pasted on the packaging box of the every unit of the registered model.

5. A. Room Air Conditioners (Fixed Speed/ Variable Speed/ Cassette, Floor Standing Tower, Ceiling, Corner AC)

(i) Dimension



Note: - One ton of refrigeration is equivalent to 3517 watts. The calculated tonnage shall be rounded off up to two decimal places.

(ii) Colour Scheme




(iii) Label material : The Label shall be of self – adhesive material. The markings required by the regulations shall be legible, indelible and durable.


(iv) Placement of Label: The Label shall be firmly affixed at the front side of each appliance and should be easily visible and the Permittee shall ensure that the Label appears on every unit of the registered model at point of sale and the Label may also be printed or pasted on the packaging box of the every unit of the registered model.

B. Light Commercial Air Conditioners

(i) Dimension



(ii) Colour Scheme



(iii) Label material : The Label shall be of self – adhesive material. The markings required by the regulations shall be legible, indelible and durable.


(iv) Placement of Label: The Label shall be firmly affixed at the front side of each appliance and should be easily visible and the Permittee shall ensure that the Label appears on every unit of the registered

model at point of sale and the Label may also be printed or pasted on the packaging box of the every unit of the registered model.


6. Tubular Fluorescent Lamps

(i) Dimension


(a) On packaging



(b) On appliance or equipment



(ii) Colour Scheme



(iii) Label material : The Label shall be of self – adhesive material. The markings required by the regulations shall be legible, indelible and durable.


(iv.) Placement of Label: The Label shall be firmly affixed at the front side of each appliance and should be easily visible and the Permittee shall ensure that the Label appears on every unit of the registered model at point of sale and the Label shall also be printed or pasted on the packaging box of the every unit of the registered model.

7. Self-Ballasted LED Lamps

(i) Dimension: (a) On packaging



(b) On appliance



Note: The QR code shall be affixed on LED lamps of above 5W ratings.

(ii) Colour Scheme



(iii) Label material : The Label shall be of self – adhesive material. The markings required by the regulations shall be legible, indelible and durable.

(iv) Placement of Label: The Label shall be firmly affixed at the front side of each appliance and should be easily visible and the Permittee shall ensure that the Label appears on every unit of the registered model at point of sale and the Label shall also be printed or pasted on the packaging box of the every unit of the registered model.

8. Chillers

(i) Dimension



(ii) Colour Scheme




(iii) Label material : The Label shall be of self-adhesive material. The markings required by the regulations shall be legible, indelible and durable.


(iv) Placement of Label: The Label shall be firmly affixed at the front side of each appliance and should be easily visible and the Permittee shall ensure that the Label appears on every unit of the registered model.

9. Deep Freezers

(i) Dimension



(ii) Colour Scheme



(iii) Label material : The Label shall be of self-adhesive material. The markings required by the regulations shall be legible, indelible, and durable.

(iv) Placement of Label: The Label shall be firmly affixed at the front side of each appliance and should be easily visible and the Permittee shall ensure that the Label appears on every unit of the registered model at point of sale and the Label shall also be printed or pasted on the packaging box (if applicable) of the every unit of the registered model.

10. Distribution Transformers

(i) Dimension



(ii) Colour Scheme



(iii) Label material : The Label shall be of self – adhesive material. The markings required by the regulations shall be legible, indelible, and durable.

(iv) Placement of Label: The Label shall be firmly affixed at the front side of each equipment and should be easily visible.

11. Electric Ceiling Type Fans

(i) Dimension

(a) On packaging



(b) On appliance



(ii) Colour Scheme



(iii) Label material : The Label shall be of self-adhesive material. The markings required by the regulations shall be legible, indelible and durable.

(iv) Placement of Label: The Label shall be firmly affixed at the top view of each appliance and should be easily visible, and the Permittee shall ensure that the Label appears on every unit of the registered model at point of sale and the Label shall also be printed or pasted on the packaging box of the every unit of the registered model.

12. Grid connected Solar Inverter

(i) Dimension



(ii) Colour Scheme




(iii) Label material : The Label shall be of self-adhesive material. The markings required by the regulations shall be legible, indelible and durable.


(iv) Placement of Label: The Label shall be firmly affixed at the front side of each appliance and should be easily visible and the Permittee shall ensure that the Label appears on every unit of the registered model at point of sale and the Label may also be printed or pasted on the packaging box of the every unit of the registered model.

13. LPG Stoves

(i) Dimensions



(ii) Colour Scheme



(iii) Label material : The Label shall be of self-adhesive material. The marking required by the regulations shall be legible, indelible and durable.

(iv) Placement of the label: The Label shall be firmly affixed at the front side of each appliance and should be easily visible and the Permittee shall ensure that the Label appears on every unit of the registered model at point of sale and the Label may also be printed or pasted on the packaging box of the every unit of the registered model.

Schedule D

List of regulations superseded by the Bureau of Energy Efficiency (Appliance Labelling and Compliance) Regulations, 2026.

Sl .No	Name of Regulation Notified in the Official Gazette of India	Regulation No. and date of Notification
(1)	(2)	(3)
(1)	Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Refrigerators) Regulations, 2022	F.No. BEE/S&L/Ref/70/2021-22 dated 30 th September,2022
(2)	Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Washing Machine) Regulations, 2023	F.No. BEE/S&L/WM/06/22-23 dated 31 st October 2023
(3)	Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Room Air Conditioners) Regulations, 2017	F.No. BEE/S&L/AC/37/2017-18 dated 29 th November 2017
(4)	Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Chillers) Regulations, 2023	F.No.BEE/S&L/Chillers/40/2021-22 dated 20 th September, 2023
(5)	Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Light Commercial Air Conditioners) Regulations, 2023	F.No. BEE/S&L/LCAC/37/2022-23 dated 27 th February, 2023
(6)	Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Ultra High Definition Televisions) Regulations, 2023	F.No. BEE/S&L/UHD/02/2022-23 dated 3 rd March, 2023
(7)	Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Distribution Transformers) Regulations, 2009 and amended vide Notification dated 29 th December 2022.	F.No. BEE/S&L/DT/01/22-23 dated 29 th December 2022
(8)	Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Stationary Storage Type Electric Water Heater) Regulations, 2016 amended vide Notification dated 12 th December 2022.	F.No. BEE/S&L/Water Heater/3/2015-16 dated 7 th September 2016
(9)	Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Tubular Fluorescent Lamps) Regulations, 2023	F.No. BEE/S&L/TFL/22-23 dated 22 nd June, 2023

(10)	Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Self Ballasted LED Lamps) Regulations, 2023	F.No. BEE/S&L/LED/52/2023 dated 22 nd June, 2023
(11)	Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Color Televisions) Regulations, 2016	F.No. BEE/S&L/CTV/02/2016-17 dated 26 th May, 2016
(12)	Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Deep Freezers) Regulations, 2023	F.No. BEE/S&L/Deep Freezer/128/2022-23 dated 31 st January 2023
(13)	Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Electric Ceiling Type Fans) Regulations, 2022	F.No. BEE/S&L/Ceiling Fan/05/2019-20 dated 19th May, 2022